रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 <u>REGD. No. D. L.-33004/99</u>



सी.जी.-डी.एल.-अ.-10012025-260144 CG-DL-E-10012025-260144

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 22] No. 22]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 10, 2025/पौष 20, 1946 NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 10, 2025/PAUSHA 20, 1946

वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग)

(केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 जनवरी, 2025

सं. 01/2025 – केंद्रीय कर

सा.का.नि. 22(अ).—केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 168 के साथ पठित धारा 37 की उपधारा (1) के प्रथम परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आयुक्त, परिषद की सिफारिशों पर, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 83/2020-केन्द्रीय कर, दिनांक 10 नवम्बर, 2020, जिसे भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड (i) में संख्या सा.का.नि. 699(ङ), दिनांक 10 नवम्बर, 2020 द्वारा प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में पांचवें परंतुक के पश्चात निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"परंतु यह भी कि उक्त अधिनियम की धारा 39 की उपधारा (1) के अधीनकर अविध दिसंबर, 2024 के लिए विवरणी प्रस्तुत करने हेतु अपेक्षित पंजीकृत व्यक्तियों के लिए उक्त नियमों के प्ररूप जीएसटीआर-1 में जावक आपूर्तियों का ब्यौरा प्रस्तुत करने की समय-सीमा माह जनवरी, 2025 के तेरहवे दिन तक बढ़ाई जाएगी और उन

291 GI/2025 (1)

पंजीकृत व्यक्तियों के लिए, जिन्हें अक्टूबर से दिसंबर, 2024 की कर अवधि के लिए उक्त उपधारा के परंतुक के अधीन विवरणी प्रस्तुत करने की आवश्यकता है, माह जनवरी, 2025 के पंद्रहवे दिन तक बढ़ाई जाएगी।"

[फा. सं. सीबीआईसी-20001/10/2024-जीएसटी] रौशन कुमार, अवर सचिव

टिप्पणी: मूल अधिसूचना संख्या 83/2020-केन्द्रीय कर, दिनांक 10 नवम्बर, 2020 को भारत के राजपत्र, असाधारण में संख्या सा.का.िन. 699(ङ), दिनांक 10 नवम्बर, 2020 द्वारा प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार संशोधन अधिसूचना संख्या 09/2024-केन्द्रीय कर, दिनांक 12 अप्रैल, 2024 को भारत के राजपत्र, असाधारण में संख्या सा.का.िन. 246(ङ), दिनांक 12 अप्रैल, 2024 द्वारा किया गया था।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS)

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th January, 2025

No. 01/2025 - CENTRAL TAX

G.S.R. 22(E).— In exercise of the powers conferred by the first proviso to sub-section (1) of section 37 read with section 168 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Commissioner, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 83/2020 – Central Tax, dated the 10th November, 2020, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide number G.S.R. 699(E), dated the 10th November, 2020, namely:–

In the said notification, after the fifth proviso, the following proviso shall be inserted, namely:-

"Provided also that the time limit for furnishing the details of outward supplies in FORM GSTR-1 of the said rules for the registered persons required to furnish return under sub-section (1) of section 39 of the said Act for the tax period December, 2024, shall be extended till the thirteenth day of January, 2025 and for the registered persons who are required to furnish return under proviso of the said sub-section, for the tax period October to December, 2024, shall be extended till the fifteenth day of January, 2025."

[F. No. CBIC-20001/10/2024-GST] RAUSHAN KUMAR, Under Secy.

Note: The principal notification No. 83/2020 –Central Tax, dated the 10th November, 2020 was published in the Gazette of India, Extraordinary vide number G.S.R. 699(E), dated the 10th November, 2020 and was last amended by notification No. 09/2024 –Central Tax, dated the 12th April 2024, published in the Gazette of India, Extraordinary vide number G.S.R. 246(E), dated the 12th April 2024.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 जनवरी, 2025

सं. 02/2025 - केंद्रीय कर

सा.का.नि. 23(अ).— केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 39 की उपधारा (6) के साथ पठित धारा 168 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आयुक्त, परिषद की सिफारिशों पर, पंजीकृत व्यक्तियों द्वारा सामान्य पोर्टल के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्ररूप जीएसटीआर-3बी में रिटर्न प्रस्तुत करने की समय-सीमा को आगे बढ़ाते हैं, जैसा कि नीचे निर्दिष्ट है-

- (i) धारा 39 की उपधारा (1) के अधीन, दिसंबर 2024 माह के लिए, 22 जनवरी, 2025 तक:
- (ii) धारा 39 की उपधारा (1) का परंतुक, अक्तूबर, 2024 से दिसंबर, 2024 की तिमाही के लिए, नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (2) में उल्लिखित पंजीकृत व्यक्तियों के श्रेणी के लिए, उक्त सारणी के स्तंभ (3) में संगत प्रविष्टि में उल्लिखित तारीख तक, अर्थातु:-

सारणी

क्र.सं	पंजीकृत व्यक्ति की श्रेणी	नियत तारीख
(1)	(2)	(3)
1.	पंजीकृत व्यक्ति जिनका व्यवसाय का मुख्य स्थान छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश,	
	गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा, केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश,	24 जनवरी, 2025
	संघ राज्य क्षेत्र दमन और दीव तथा दादरा और नगर हवेली, पुडुचेरी, अंडमान	
	और निकोबार द्वीप समूह या लक्षद्वीप में है।	
2.	पंजीकृत व्यक्ति जिनका व्यवसाय का मुख्य स्थान हिमाचल प्रदेश, पंजाब,	
	उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, अरुणाचल	
	प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल,	26 जनवरी, 2025
	झारखंड या ओडिशा राज्यों, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, चंडीगढ़ या दिल्ली	
	संघ राज्य क्षेत्रों में है।	

[फा. सं. सीबीआईसी-20001/10/2024-जीएसटी]

रौशन कुमार, अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th January, 2025

No. 02/2025 - CENTRAL TAX

G.S.R. 23(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (6) of section 39 read with section 168 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Commissioner, on the recommendations of the Council, hereby extends the time limit for furnishing the return in FORM GSTR-3B electronically, through the common portal, by the registered persons, as specified under-

- (i) sub-section (1) of section 39, for the month of December 2024, till twenty-second day of January, 2025:
- (ii) proviso to sub-section (1) of section 39, for the quarter of October, 2024 to December, 2024, for the class of registered persons mentioned in column (2) of the Table given below, till the date mentioned in the corresponding entry in column (3) of the said Table, namely:

TABLE

S. No.	Class of registered persons	Due Date
(1)	(2)	(3)
1.	Registered persons whose principal place of business is in the States of Chhattisgarh, Madhya Pradesh, Gujarat, Maharashtra, Karnataka, Goa, Kerala, Tamil Nadu, Telangana, Andhra Pradesh, the Union territories of Daman and Diu and Dadra and Nagar Haveli, Puducherry, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep.	Twenty-fourth day of January, 2025
2.	Registered persons whose principal place of business is in the States of Himachal Pradesh, Punjab, Uttarakhand, Haryana, Rajasthan, Uttar Pradesh, Bihar, Sikkim, Arunachal Pradesh, Nagaland, Manipur, Mizoram, Tripura, Meghalaya, Assam, West Bengal, Jharkhand or Odisha, the Union territories of Jammu and Kashmir, Ladakh, Chandigarh or Delhi.	Twenty-sixth day of January, 2025

[F. No. CBIC-20001/10/2024-GST] RAUSHAN KUMAR, Under Secy.